राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सीकर
Email: Principal.mc.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक : मेडि.कॉलेज / सामान्य / 2020 / 219 दिनांक :— 10-02-2020

विज्ञप्ति (Walk in Interview)

श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्साल्य, सीकर में निम्नलिखित विभागों में UTB (Urgent Temporary Basis) पर निम्न पदों के लिए आवेदन पत्र/वॉक इन इंन्टव्यू आमंत्रित किए जाते हैं :—

क्र. सं.	विभाग	आचार्य (Professor)	सह आचार्य (Associate Professor)	सहायक आचार्य (Assistant Professor)
1	Anatomy	01		
2	Physiology	01		
3	Biochemistry	01	01	
4	Orthopaedic		01	
5	Radio-Diagnosis		01	
6	Obs. And Gyanae.		01	
7	Pharmacology		01	
8	Forensic Medicine			01
9	Medicine	01		
10	Anaesthesia		02	01
11	Microbiology		01	
12	Dentistry			01

Senior Resident Posts

S. No.	Department	Vacant Post
1.	Gen. Surgery	01
2.	Radio Diagnosis	01

उक्त विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि/कटौती की जा सकती है। आवेदन के पूर्व पदों की वस्तुस्थिति स्थापना शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

उक्त पदों की पात्रता एवं अन्य शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :—

1.	पद की योग्यता	मूल अर्हता साक्षात्कार के समय MCI तथा राजमेस के अनुसार।
2.	आयु सीमा	MCI तथा राजमेस के अनुसार।
3.	कार्य अवधि	फैकल्टी के लिये नियुक्ति अवधि अधिकतम 6 माह या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिये होगी तथा SR के लिये 1 वर्ष होगी।
4.	वेतन	वेतन नियुक्ति के समय RAJMES जयपुर के अनुसार।
5.	साक्षात्कार की तिथि व समय	प्रत्येक बुधवार व शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक प्रिंसिपल एवं कन्ट्रोलर कक्ष, श्री कल्याण अस्पताल परिसर, सीकर में रिक्त पद उपलब्ध होने तक होंगे।

अन्य शर्तें :–

1. जो अभ्यर्थी चयन से पूर्व स्थायी/अस्थाई तौर पर अन्य किसी भी पद पर कार्यरत है, उन्हें इस चयन पर कार्यग्रहण करने से पूर्व उस पद से कार्य मुक्त होना होगा। साक्षात्कार के समय राज्य सेवा में कार्यरत/अन्य संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
2. कार्यावधि के दौरान एक दिवस प्रति माह आकस्मिक अवकाश देया होगा। कार्यावधि के दौरान इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर या किसी भी कारण कर्तव्य स्थल पर उपस्थित न होने पर उस अवधि का वेतन देय नहीं होगा।
3. चयनित अभ्यर्थी अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
4. कार्यरत फैकल्टी न्यूनतम एक माह का नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेंगे। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्यागपत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का वेतन जमा कराना अनिवार्य होगा।
5. एम. सी. आई. निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने या एम. सी. आई. निरीक्षक द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी। व उस माह का वेतन देय नहीं होगा।
6. साक्षात्कार के लिये आने जाने के लिये कोई भत्ता देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी को इस आशय का घोषणा पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि उसने शैक्षणिक सत्र 2019–20 के दौरान 01.08.2019 को या उसके बाद एमसीआई निरीक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।
8. सभी मामलों में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

(डॉ0 के0के0 वर्मा)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज,
एवं संलग्न चिकित्सालय समूह
सीकर

क्रमांक : मेडि.कॉलेज/सामान्य/2020/219
दिनांक :– 10-02-2020

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, राजमेस, जयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय जयपुर।
4. कार्यालय प्रति।
5. सूचना पट्ट/नोडल अधिकारी वेबसाइट।

(डॉ0 के0के0 वर्मा)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज,
एवं संलग्न चिकित्सालय समूह
सीकर